

शा.क्र. (फ.)

26/11/18

77289

अभिभाषक पत्र



मायालय दीपाग उपखण्ड दादीकारी महेदय नारुडु
राजेदु पुकार के गिरीश मेवराज वावड
वावड रु
द्व

वाद एकरी कोठण संख्या सन्
 में/हम मेवराज के इलीम धाकट निवसी कोठण

उपरोक्त मुकदमें में अपनी ओर से

) रु. महनताना पर श्री

राजेपुकार गौतम, युवक गौतम (दोनों एकत्र सूने) को

अभिभाषक नियुक्त कर प्रतिज्ञा करता हूँ/प्रतिज्ञा करते हैं कि उक्त सज्जन को मेरे/हमारे पक्ष समर्थन व उसके सम्बन्ध में पूर्ण कार्यवाही करने का अधिकार होगा। अभिभाषक महोदय को समझौता करने, वाद प्रस्तुत करने, शपथ पूर्वक विवरण, स्वीकारोक्ति-पत्र प्रस्तुत करने तथा न्याय पत्र प्राप्त करने की दशा में न्याय अधिकार प्रस्तुत करने, धन प्राप्त करने तथा वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र, पुनरावलोकन पत्र आदि पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने का अधिकार मेरी/हमारी ओर से होगा। आवश्यकतानुसार किसी अन्य अभिभाषक को अपने स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार भी होगा। जो अभिभाषक नियुक्त होंगे उनकी भी सम्पूर्ण कार्यवाही स्वीकृत होगी। वाद में चालू समय में अथवा स्थगित होने के पश्चात् जो व्यय अथवा क्षति धन प्राप्त होगा उसे ग्रहण करने का अधिकार उक्त सज्जन को होगा।

मैं प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहूँगा। अनुपस्थिति के कारण जो परिणाम होगा उसका उत्तरदायित्व अभिभाषक महोदय पर न होगा, यदि आवश्यक शर्त पूरी नहीं करूँ तो उक्त सज्जन को अधिकार होगा कि वे पक्ष समर्थन अस्वीकार कर दें और उस दशा में कोई उत्तरदायित्व उक्त सज्जन पर न होगा।

अतएव यह अभिभाषक पत्र लिख दिया कि आवश्यकतानुसार काम आवे।

हस्ताक्षर मेवराज

दिनांक 26.11.18

पक्ष समर्थन स्वीकार है।

मेवराज
21/11/18

अभिभाषक पत्र



73627



न्यायालय उपलब्ध दलित कानूनी सहायता समिति

राजेश

वि कोलकाता

रु कोलकाता

वाद 9132 कोलकाता कोष 10 क

संख्या स्थापना के दिनांक

में/हम श्री. राजेश, कोलकाता - मे. उ. व. दि. 12/11/17

कोलकाता कोष के अध्यक्ष श्री. कोलकाता कोष के अध्यक्ष

उपरोक्त मुकदमों में अपनी ओर से श्री. महंताना पर श्री. कोलकाता कोष के अध्यक्ष

अभिभाषक नियुक्त कर प्रतिज्ञा करता हूँ/प्रतिज्ञा करते हैं कि उक्त सज्जन को मेरे/हमारे पक्ष समर्थन व उसके सम्वन्ध में पूर्ण कार्यवाही करने का अधिकार होगा। अभिभाषक महोदय को समझौता करने, वाद प्रस्तुत करने, शपथ पूर्वक विवरण, स्वीकारोक्ति-पत्र प्रस्तुत करने तथा न्याय पत्र प्राप्त करने की दशा में न्याय अधिकार प्रस्तुत करने, धन प्राप्त करने तथा वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र, पुनरावलोकन पत्र आदि पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने का अधिकार मेरी/हमारी ओर से होगा। आवश्यकतानुसार किसी अन्य अभिभाषक को अपने स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार भी होगा। जो अभिभाषक नियुक्त होंगे उनकी भी सम्पूर्ण कार्यवाही स्वीकृत होगी। वाद में चालू समय में अथवा स्थगित होने के पश्चात् जो व्यय अथवा क्षति धन प्राप्त होगा उसे ग्रहण करने का अधिकार उक्त सज्जन को होगा।

मैं प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहूँगा। अनुपस्थिति के कारण जो परिणाम होगा उसका उत्तरदायित्व अभिभाषक महोदय पर न होगा, यदि आवश्यक शर्त पूरी नहीं करूँ तो उक्त सज्जन को अधिकार होगा कि वे पक्ष समर्थन अस्वीकार कर दें और उस दशा में कोई उत्तरदायित्व उक्त सज्जन पर न होगा।

अतएव यह अभिभाषक पत्र लिख दिया कि आवश्यकतानुसार काम आवे।

हस्ताक्षर

राजेश

दिनांक 10/9/17

पक्ष समर्थन स्वीकार है।

अधिकारी

परमेश

श्री. कोलकाता कोष

श्री. कोलकाता कोष

कोलकाता कोष

श्री. कोलकाता कोष

श्री. कोलकाता कोष

श्री. कोलकाता कोष